सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/SER-895/JH/17/2023-SSW Dated: 16/07/2024

To,

Shri Samiran Dutta,
Chairman – cum – Managing Director,
Eastern Coalfields Limited.,
Sanctoria, P.O – Dishergarh,
District – West Bardhman (WB) – 713333
(Email: cmd.ecl.cil@coalindia.in) (Ph No. 0341-2520545)

Sub: अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के परिवार वालो को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी न देने के संबंध में - कुमारी दुलाली कोले पुत्री स्व. श्री आशु कोले, (Ex- E P Fitter of Gourandi Colliery of Salanpur Area, ECL) जिला-जामताडा, झारखंड का दिनांक 08.02.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय,

I am directed to enclosed herewith copy of the minutes of Sitting held under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 13.06.2024 at 04:20 PM in Hotel BNR, Chanakya, Ranchi on the above mentioned subject for information.

It is requested that action taken/ to be taken in the matter may be submitted with stipulated time for placing it before the Hon'ble Member, NCST.

Yours faithfully,

RKVerma

(R.K. Verma)
Under Secretary to the Govt. of India
Ph No. 011-24641640

Copy to:-

Kumari Dulai Kole D/o Late Ashu Kole,
Village Mozra, PO - Mejhia,
District - Jamtara, (Jharkhand) - 815351
Mobile No: 9006063205
(Email: vibrant.india001@gmail.com)

Copy for information to:-

1. PS to Hon'ble Member (Dr. A.L), NCST
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 13.06.2024 को 04.20 बजे, होटल BNR चाणक्य, रांची में, ECL प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के पुत्री को अनुकंपा के आधार पर नौकरी न देने के संबंध में – कुमारी दुलाली कोले पुत्री स्व. श्री आशु कोले (EX- EP Fitter of Gourandi Colliery of Salanpur Area, ECL) जिला-जामताडा, झारखंड के संबंध में आयोजित बैठक के कार्यवृत।

फ़ाइल संख्या: NCST/SER-895/JH/17/2023-SSW

दिनांक: 13.06.2024 को 04.20 बजे; स्थान: BNR चाणक्य, रांची

प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक पर है;

कुमारी दुलाली कोले पुत्री स्व. श्री आशु कोले (EX- EP Fitter of Gourandi Colliery of Salanpur Area, ECL) जिला-जामताडा, झारखंड ने दिनांक 08.02.2023 के अभ्यावेदन में बताया है कि श्री आशु कोले का निधन 17.04.2012 को नौकरी में रहते हुआ था। उन्हें वर्ष 2012 से ECL प्रबंधन द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित रखा गया है। ECL प्रबंधन, उन्हें हर बार अलग-अलग दस्तावेज जमा करने के लिए कहते रहते हैं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं करते है। अतः न्याय करने का कष्ट करें।

उपरोक्त प्रकरण को आयोग ने समसंख्यक नोटिस दिनांक 25.05.2023 द्वारा CMD, ECL, District - Paschim Bardhaman के द्वारा तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था। CMD, ECL, District - Paschim Bardhaman ने अपने पत्र दिनांक 10.06.2023 में बताया कि "While processing it was revealed that in any of the documents submitted by the claimant, marital status is not available. In this context, it is brought to your kind knowledge that employment against death of an employee is guided by National Coal Wage Agreement where unmarried daughter is entitled to get employment. As such, candidate has been asked to submit certificate from appropriate authority about her marital status. On receipt of the same claim of employment will be processed, if found eligible under National Coal Wage Agreement." ECL के पत्र दिनांक 10.06.2023 के संदर्भ में आवेदिका ने अपने प्रत्युत्तर दिनांक 11.07.2023 के माध्यम से असंतुष्टि प्रकट करते हुये न्याय की मांग की। आयोग के पत्र दिनांक 05.04.2024 के माध्यम से आवेदिका के प्रत्युत्तर दिनांक 11.07.2023 को CMD, ECL, District - Paschim Bardhaman को तथ्य तथा आख्या प्राप्त करने हेतु भेजा। ECL ने अपने पत्र दिनांक 31.05.2024 के द्वारा सूचित किया कि प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। इस पत्र की प्रति आवेदिका को पत्र दिनांक 04.06.2024 द्वारा भेज दी गई है। प्रकरण में समाधान ना होने के कारण, आयोग ने दिनांक 13.06.2024 को रांची में CMD, ECL तथात आवेदिका के साथ विचार विमर्श हेतु सिटिंग करने का निश्चित किया जिसकी सूचना अधिकारी एंव आवेदिका को नोटिस एंव पत्र दिनांक 04.06.2024 द्वारा सूचित कर दिया गया।

बैठक में CMD, ECL की तरफ से निदेशक (कार्मिक), ECL तथा अन्य अधिकारी एवं आवेदिका उपस्थित हुए। निदेशक (कार्मिक), ECL ने बैठक में ECL द्वारा प्रकरण में की गयी/की जाने वाली कार्यवाई के संबंध में पत्र संख्या ECL/CMD/C-6/E-8/NCST/2024/2364 दिनांक 12.06.2024 की प्रति उपलब्ध कराई। आवेदिका ने बताया कि ECL प्रबंधन द्वारा प्रकरण में न्यायपूर्ण कार्यवाई नहीं की जा रही है। अतः अविलंब न्याय प्रदान करने का कष्ट करें।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

बैठक में ECL की प्रतिनियुक्ति अधिकारियों के उत्तर तथा ECL के पत्र में दी गयी सूचना को आयोग ने गंभीरता से लिया। पत्र से प्रतीत हुआ की ECL प्रबंधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के मृतक कर्मचारी के पुत्री के साथ (परिवार) अन्याय किया जा रहा है।

आयोग ने ECL की प्रतिनियुक्ति अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद आग्रह किया कि ECL प्रबंधन द्वारा आवेदिका को अविलंब नियुक्त पत्र प्रदान करने की कार्यवाई करनी चाहिए एवं की गयी कार्यवाई की सूचना 15 दिन के भीतर आयोग को उपलब्ध कराएं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आयोग द्वारा CMD, ECL के साथ अगली बैठक हेतु निर्णय पर विचार किया जाएगा।

आशा लकड़ा
12/07/2024

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

List of participants of the sitting held on 13.06.2024 at 04:20 P.M under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, NCST in the case of Kumari Dulali Kole D/o Late Ashu Kole, Village – Mozra, District – Jamtara (Jharkhand) – अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के पुत्री को अनुकंपा के आधार पर नौकरी न देने के संबंध में।

I.	**<u>Chairman-Cum-Managing Director, ECL, Distt-West Bardhman (WB)</u>**
1.	Shri Ahuti Swain, Director (P)
2.	Nazrul Islam Ajam (P)
3.	Manish Kujur L/o (SC/ST)
II.	**<u>Petitioner</u>**
	कुमारी दुलाली कोले